न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 06/2024 (GCMS 2024/11)

अपीलांट बनाम **रेस्पोडेंट**

श्री भागे खान पुत्र अलाबचाय खान जाति मुसलमान निवासी गांव लाठी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

राज.सरकार जरिये तहसीलदार,जैसलमेर।

उपस्थित :

1. श्री रशीद खान अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भीखदान, ना0 तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 23.07.2025**

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 91 के प्रकरण सं0 02/2024 अनवान पटवारी हल्का सोढ़ाकोर बनाम भागे खान में पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी सोढाकोर ने एक रिपोर्ट पेश कर बताया है कि अपीलार्थी/गैर सायल ने सम्वत 2080 में ग्राम सोढाकोर के खसरा नम्बर 413 में रकबा 1 बीघा किस्म चाही व खसरा संख्या 419/635 में रकबा 3 बीघा किस्म बारानी सरकारी पडत भूमि पर तारबंदी कर अनाधिवांसित राजकीय भूमि 4 बीघा पर अतिक्रमण करके अतिचार किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 02/2024 दर्ज कर अपीलार्थी/गैरसायल को तलब किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया और जवाब व बहस के लिए समय मांगा गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, अपीलार्थी को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् अतिक्रमी घोषित किया गया तथा वार्षिक लगान 50 गुणा से राशि रुपये 190/– (एक सौ नब्बे रूपये मात्र) जुर्माना आरोपित किया गया व अपीलार्थी को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल कर भूमि का कब्जा राजहक लेने का निर्णय पारित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपील में कथन किया गया है कि अपीलाधीन आलोच्य आदेश व निर्णय दिनांक 13.02.2024 पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी तथ्यात्मक एवं विधि संबंधी भूल कारित की हैं, जिससे उक्त निर्णय एवं आदेश अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना नहीं की गई है तथा न ही अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। अपीलार्थी को कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस तामील करवाये बिना तथा सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना तथा अधीनस्थ न्यायालय ने सबूत व दस्तावेज न होने के बावजूद भी एक तरफा मानस अपनाकर उक्त आलोच्य आदेश एवं निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने न तो उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 413, 419/635 पर कब्जा काश्त करके तथा न ही उक्त भूमि पर तारबंदी करके अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैसलमेर द्वारा गांव सोढाकोर की उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अतिक्रमी बताया गया है, जबकि अपीलार्थी का सोढाकोर की भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 305/11 गांव लाठी में है जो पटवार हल्का लाठी के अन्तर्गत आता है एवं तहसील पोकरण के क्षेत्राधिकार में है।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

उक्त भूमि पर पक्की ढाणी व पक्का टांका बना हुआ है। अपीलार्थी का उपरोक्त खातेदारी खेत गावं सोढाकोर व गांव लाठी की भूमि की सरहद जिस जगह पर आपस में टकराती है वहां स्थित है। उपरोक्त दोनों गांव की सरहद आपस में Over Lape हो रही है, तथा पिछले 50 वर्षों से दोनों गांव की सरहदों को लेकर के विवाद है, कई बार पैमाईश भी की गई है लेकिन सरहदों का सीमाकंन सही नहीं हो पाया है। पटवारी सोढाकोर द्वारा मौके का निरीक्षण किये बिना तथा भूमि की पैमाईस किये बिना अपीलार्थी को फसाने के लिए मनमाना ढंग से रिपोर्ट तैयार करके अतिक्रमी बताकर कार्यवाही हेतु पेश की गई है, जो सरासर गलत एवं विधि विरुद्ध है। पटवारी की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की सत्यता की जांच पडताल करवाये बिना तथा भूमि की पैमाईश किये बिना अपीलार्थी के विरुद्ध विधि विरुद्ध रुप से आदेश पारित किया गया है। वास्तव में अपीलार्थी का राजकीय भूमि पर कोई कब्जा व काश्त नही है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश दिनांक 13.02.2024 पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी का खसरा संख्या 413, 419/635 के पास में खसरा संख्या 305/11 खातेदारी खेत आया हुआ है, जिस पर अपीलार्थी की पक्की ढाणी व पक्का टांका भी बना हुआ है तथा अपीलार्थी का उसी खेत पर कब्जा काश्त है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व दोनों गावों की सरहद की पैमाईश भी नहीं करवाई तथा लाठी गांव के पटवारी, R.I. की रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई और न ही लाठी व सोढाकोर की सरहद की पैमाईश करवाकर के सीमांकन करके निस्तारण करवाया गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अपीलार्थी का उसकी भूमि पर ही कब्जा काश्त है न कि उसके पड़ौस की भूमि खसरा संख्या 413, 419/635 में है। अतः उक्त आधारों पर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

उभय पक्षों को सुना गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से पैरोकार राज द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त भमि पर कब्जाकाश्त एवं तारबंदी करके अतिक्रमण किया गया है जिसके संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिवत है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों अनुसार विवादग्रस्त भूमि ग्राम सोढ़ाकोर तहसील जैसलमेर एवं ग्राम लाठी तहसील पोकरण की सीमा पर स्थित है तथा दोनों गांवों की सरहद आपस में ओवरलेप होना संभावित है जिसका सही सीमांकन किया जाकर विवादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के निष्कर्ष में अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना उचित पाया जाता है। अतः **अपील अपीलाण्ट स्वीकार** की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 02/2024 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2024 को **अपास्त** किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार जैसलमेर को **प्रतिप्रेषित (Remand)** कर निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में सीमा विवाद की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से कमेटी गठित करवाई जाकर भूमि का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत विधिवत कार्यवाही की जावे। उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वंय वहन करें।

आदेश आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रताप सिंह)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)